



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-283/2020 दिनांक 09.10.2020)



दिनांक- 09.10.2020 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही-(कुल-02)

थाना हाटा-

थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1. रमेश जायसवाल पुत्र गिरधर जायसवाल साकिन सुकरौली थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर 2. बाकेलाल पुत्र स्व0 रुदल गुप्ता साकिन दुबौली थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर के कब्जे से कुल 20 ली0 कच्ची व 29 शीशी बंटी बबली अवैध शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 429/2020,431/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)

थाना कुबेरस्थान-

थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त जुगनु शर्मा पुत्र मिश्री लाल शर्मा सा0 कोहरवलिया थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0अ0सं0-135/2020 धारा 147/452/366/342/323/504/506/376/188/ भादवि व 3(2)(5) SC/ST ACT में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जुआ अधिनियम में कार्यवाही-(01)

थाना हाटा-

थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त सुरेमन यादव पुत्र नथुनी यादव साकिन महादेव छपरा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर के कब्जे से ताश के 52 पत्ते माल फड़ से 600 रूपया व जामा तलाशी से 1000 रूपया बरामद कर मु0अ0सं0-430/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 35 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-206 वाहन।
2. 107/116 जा0फौ0 में की गयी कार्यवाही-मु0-56, व्यक्ति-152।
3. अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी- 20 ली0 कच्ची अवैध शराब व 29 शीशी बबली बन्टी देशी शराब ,
4. जुआ अधिनियम में कार्यवाही मु0-01, अभि0-01, बरामदगी-52 तास के पत्ते व 600 रूपया नगद।
5. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी (कुल-01)
6. जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-39)।

मीडिया सेल
कुशीनगर